



राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

National Water Development Agency

Ministry of Jal Shakti, Government of India

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)



वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH - ONE FAMILY - ONE FUTURE

पत्र संख्या:02/03/प्रशा-2022/खण्ड-IV/ 489-99

दिनांक:21.05.2024

कार्यालय आदेश

मूल नियमावली 56 (ए) के अनुसार एवं अधिवर्षिता की आयु (60 वर्ष) प्राप्त करने के फलस्वरूप श्रीमती एस.एस. राणादिवे, एम.टी.एस. (कर्मचारी आई-डी:0248), अन्वेषण प्रभाग, रा.ज.वि.अ., नाशिक को दिनांक:31.05.2024 (अपराहन) से राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की सेवाओ से कार्यमुक्त किया जाता है ।

(के.एस. नायडु)

अधिशासी अभियंता

प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतु:

1. मुख्य अभियंता(मुख्यालय), {ध्यानाकर्षण: निदेशक (प्रशा)}, राजविअ, नई दिल्ली ।
2. मुख्य अभियंता(दक्षिण), राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, हैदराबाद ।
3. निदेशक(एम.डी.यू), मुख्यालय, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली ।
4. निदेशक(वित्त), मुख्यालय, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली ।
5. अधीक्षण अभियंता, अन्वेषण वृत्त, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, वलसाड ।
6. कनिष्ठ अभियंता(मुख्या), अन्वेषण प्रभाग, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नाशिक ।
7. श्रीमती एस.एस. राणादिवे, एम.टी.एस. (आई-डी:0248), अन्वेषण प्रभाग, रा.ज.वि.अ., नाशिक को यह निर्देश दिया जाता हैं की कार्यमुक्त होने से पहले आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करें ।
8. लेखा शाखा, अन्वेषण प्रभाग, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नाशिक ।
9. बिल लिपिक, अन्वेषण प्रभाग, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नाशिक ।
10. व्यक्तिगत सेवा पंजी और व्यक्तिगत मिसिल ।
11. गार्ड फाईल

